



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-1-1-1/शिक्षा /2024/1464

रायगढ़, दिनांक ...21.11.2024

// अधिसूचना //


छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अंतर्गत शिक्षा विषय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 01. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 01. डॉ. कनक सिन्हा, राहौद शिक्षण समिति राहौद जिला- जांजगीर-चांपा
02. डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा, श्याम शिक्षा महाविद्यालय ऋषभ तीर्थ गुंजी, जिला जांजगीर-चांपा
- धारा 28 (2) (तीन) 01. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 01. डॉ. एस.के.यादव, ज्ञानदीप कॉलेज ऑफ एजुकेशन जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा
02. डॉ. आर.के.कश्यप, श्री महंत लालदास शिक्षा महावि. शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा
- धारा 28 (2)(पाँच) 01. श्री प्रदीप कुमार खुट्टे, राहौद शिक्षण समिति राहौद जिला- जांजगीर-चांपा
02. श्रीमती चंचल यादव, चैतन्य कॉलेज(शिक्षा) पागढ़ जिला- जांजगीर-चांपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. कनक सिन्हा, को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पु.क्र 2-3-1-1-1/शिक्षा /2024/1465

रायगढ़, दिनांक21.11.2024

प्रतिलिपि:-

01. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
03. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
03. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
04. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
05. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
06. कार्यालय प्रति।


प्रभारी अधिकारी (अका.)